सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन

*शोधकर्ता रामवशिष्ठ नाथ उपाध्याय

**शोध निर्देशक डॉ. राम प्रकाश सैनी, प्राध्यापक, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश

बिहार शरीफ के दीपनगर जेल में किए सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन में कुल 500 कैदियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया जिसमें सभी प्रकार के कैदियों को दी जाने वाली शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित उद्देश्य एवं परिकल्पना को लेकर एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि कैदियों को दी जाने वाली व्याव्सायिक शिक्षा उनको समाज में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

1 प्रस्तावना :–

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसके द्वारा बालकों के या व्यक्तियों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता हैं। शिक्षा के द्वारा बालक अपने निकट के लोगों के सम्पर्क में आने पर उसमें अनेक बातें सीखता हैं। समाज के गुण–दोषों का बालक व व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।समाज बालक के आचार–विचार, रहन–सहन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगिण विकास में सहायक होती है। व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रभावित करती हैं।

शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को जीवन पर्यनत अपने माता–पिता, भाई–बहन, मित्र, शिक्षकों, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित न रहकर परिवार, विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा हॉल आदि सब जगह होती रहती है और जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। वास्तव में सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा काल होता है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल होता है। शिक्षा की प्रक्रिया ही समाज का विकास करती हैं।

जिज्ञासु मानव की शक्ति असीमित है, जैसे ही उसके सामने कोई समस्या आती है तो उनकी समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां उसके समाधान के लिए एकाग्र हो जाती है। व्यक्ति जब अपराध

जगत की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसे अपराधी की संज्ञा दिया जाता हैं। अपराधी व्यक्ति वह होते हैं, जो बार–बार उन कार्यों को करता है, जो अपराधों के रूप में दण्डनीय है जिसकी कोई आयु निर्धारित नहीं है। व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन न कर पाने के कारण भी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। बालक व व्यक्तियों को प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण में रखा जाना चाहिए जिसमें वह नैतिक एवं मौलिक गुणों को विकसित कर सके तथा अपने सर्वांगिण गुणों का विकास कर सके।

अपराध करने के कारण निम्न हो सकते हैं–आनुवांशिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय संबंधी, संवाद–वाहन, सांस्कृतिक कारण शामिल है।जिनसे उनके मनोदशा का ज्ञान होता है।क्या अपराधी व्यक्तियों को सुधारा जा सकता है? जिसके लिए सुधार गृह जेल का निर्माण किया गया है। जेल में कैदियों को शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे बालकों या व्यक्तियों का मानसिक व शारीरिक विकास किया जाता हैं।

2. संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (2014) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य ने जेल अधिनियम 1894 तथा हरियाणा गुड कंडक्ट परिजन एक्ट–1998 में संशोधन करके जेलों में कैदियों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं जैसे कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना संचालित करना तथा कैदियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए टी.वी., समाचार पत्र व खेल–कूद आदि। जेलों में उन कैदियों से अतिरिक्त जमीन पर खेती भी करवाई जाती है और उन को पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता।

शर्मा कविता (2014) ने अपनी पुस्तक ''मानवाधिकार व महिला कैदी : महिला बंदी सुधारक जयपुर के संदर्भ में एक अध्ययन'' में मानवाधिकारों की अवधारणा, महिला मानवाधिकार एवं महिला अपराधी के 9 सैद्धान्तिक व ऐतिहासिक परिपेक्ष्य की व्याख्या की है। लेखिका ने महिलाओं के मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं भारत के संदर्भ में उल्लेखित किया है।

शर्मा प्रदीप एवं पटेल सी.एल. (2016) ने अपने शोध पत्र ''कैदियों के मानवाधिकार की प्राचीनतम् से वर्तमान व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक अध्ययन'' में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की स्वीकृति व कैदियों के मानव अधिकार को परिभाषित करके उसके प्रमुख बिन्दुओं को दर्शाया है। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में बाल एवं किशोर अपराधियों की दशा में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा घोर अपराधियों के सम्पर्क से बचाए रखने के लिए इन्हें बाल–सुधार गृहों तथा बोर्स्टलों में पृथक् रखे

जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्णन किया है। कारागारों में राजनीतिक कैदियों की भरमार के विषय में बताया गया है और राजनीतिक कैदियों को दो वर्गो में रखा होने की जानकारी का उल्लेख किया है।

रानी सुनीता व दलाल राजबीर सिह (2018) ने अपने शोध पत्र, ''जेल एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणारू इन इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू सेंट्रल जेल–1 हिसार'' में अपराध दर में वृद्धि करने वाले कारणों का उल्लेख किया है। जेलों को आज सुधार ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि कैदी के जीवन के विकास, सीखने और समृद्धि के लिए जेलें एक सही वातावरण प्रदान करती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार भी विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान करती है जिससे कैदियों के कल्याण के लिए योजनाएँ चलाई जा सकें। शोध पत्र में कैदियों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने में जेल अधीक्षक के कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन किया है। हरियाणा में सचिवालय, निदेशालय तथा जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के पदानुक्रम का भी उल्लेख किया गया है।

3. उद्देश्य :–

सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।

4. परिकल्पना :–

परिकल्पना एच 4 – सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका पाई जायेगी।

5. अध्ययन की परिसीमा :–

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन हेतु शोधकर्त्ता ने परिसीमन निम्न प्रकार से किया है –

1. अध्ययन हेतु नालंदा जिले के अंर्तगत बिहार शरीफ दीपनगर के केंद्रीय जेल में 400 पुरूष एवं 100 महिला कैदियों का चयन किया गया है।
2. अध्ययन हेतु बिहार शरीफ दीपनगर के केंद्रीय जेल के कुल 500 कैदियों का चयन किया गया है।

3. प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा केंद्रीय जेल में पुर्नवास योजना के माध्यम से कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा के महत्व का अध्ययन के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाएगा।

6. न्यादर्शः–

प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक आधार पर सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ दीपनगर के केंद्रीय जेल को लिया गया है, जिसमें 500 कैदियों का चयन किया गया है।

7. उपकरण :–

बंदीगृह में सजायाफ्ता कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित उपकरण साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

8. परिकल्पना की व्याख्या एवं निष्कर्ष :–

परिकल्पना :– सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका पाई जायेगी।

सरणी कमांक 1

सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका से संबंधित विवरण

क.	कथन	हाँ संख्या	हाँ का प्रतिशत	नहीं संख्या	नहीं का प्रतिशत
1.	क्या आपको जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ?	500	100.00	0	0.00
2.	आपको जेल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है?				
	• सिलाई का प्रशिक्षण	268	53.60	232	46.40

	• कम्प्यूटर का प्रशिक्षण	468	93.60	32	6.40
	• प्रिटिंग प्रेस का प्रशिक्षण	321	64.20	179	35.80
	• बढ़ई का प्रशिक्षण	265	53.00	235	47.00
	• गौशाला का प्रशिक्षण	314	62.80	186	37.20
	• अन्य	115	23.00	385	77.00
3.	क्या जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?	500	100.00	0	0.00
4.	क्या व्यावसायिक शिक्षा सभी को आत्मनिर्भर बनाती है?	364	72.80	136	27.20
5.	क्या सभी को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका है ?	462	92.40	38	7.60

व्याख्या :–

परिकल्पना के अन्तर्गत कुल 5 प्रश्नों को 500 सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका से संबंधित प्रश्नों का जवाब मांगा गया उनके दिए गए उत्तरों के आधार पर इस प्रश्न की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई –

प्रश्न कमांक 1 क्या आपको जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ?

उपप्रश्न कमांक 1 के अनुसार 500 कैदियों ने कहा कि उन्हें जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जो शतप्रतिशत रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि जेलों में कैदियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था है।

प्रश्न कमांक 2 आपको जेल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है?

प्रश्न कमांक 2 के अनुसार 268 कैदियों ने सिलाई का प्रशिक्षण हेतु उत्तर हाँ में दिया है जिनका प्रतिशत 53.60 है एवं 232 कैदियों ने उत्तर में नहीं दिया है जिनका प्रतिशत 46.60 है, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण हेतु 93.60 प्रतिशत कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया जिनकी संख्या 468 है तथा 6.40 प्रतिशत कैदियों ने नही में उत्तर दिया जिनकी 32 रही है। प्रिटिंग प्रेस का प्रशिक्षणहेतु 321 कैदियों ने उत्तर में हाँ दिया है जिनका प्रतिशत 64.20 रहा है एंव 179 कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया है जिनका प्रतिशत 35.80 है, 265 कैदियों

ने बढ़ई का प्रशिक्षण हेतु हां में उत्तर दिया जिनका प्रतिशत 53.00 है एवं 235 यानि 47.00 प्रतिशत कैदियों ने नही में उत्तर दिया गौशाला का प्रशिक्षण के लिए 62.80 प्रतिशत जिनकी संख्या 314 है उत्तर में हाँ दिया है एवं गौशाला का प्रशिक्षण के लिए 37.20 प्रतिशत जिनकी संख्या 186 है उत्तर में नहीं दिया है अन्य प्रशिक्षण हेतु 115 कैदियों ने उत्तर में हाँ दिया है जिनका प्रतिशत 23.00 रहा है तथा 77. 00 प्रतिशत कैदियों ने नही में उत्तर दिया है। जिनकी संख्या 385 है।

प्रश्न क्रमांक 3 क्या जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है?

उपप्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जवाब में 500 कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया जिनका प्रतिशत 100.00 रहा है।

प्रश्न क्रमांक 4 क्या व्यावसायिक शिक्षा सभी को आत्मनिर्भर बनाती है?

प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार 364 कैदियों ने व्यावसायिक शिक्षा से आत्मनिर्भर बनाने के जवाब में हाँ में उत्तर दिया, जिनका प्रतिशत 72.80 है एंव व्यावसायिक शिक्षा सभी को आत्मनिर्भर बनाती है जवाब में 136 कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया है जिनका प्रतिशत 27.20 रहा है।

प्रश्न क्रमांक 5 क्या सभी को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका है ?

उपप्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार सभी को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका है जवाब में 462 कैदियों ने हां में उत्तर दिया जिनका प्रतिशत 92.40 रहा है, एवं जवाब में 38 कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया है जिनका प्रतिशत 7.60 रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है।

आरेख कमांक 1

व्यावसायिक शिक्षा के प्रकार दर्शाने वाला आरेख

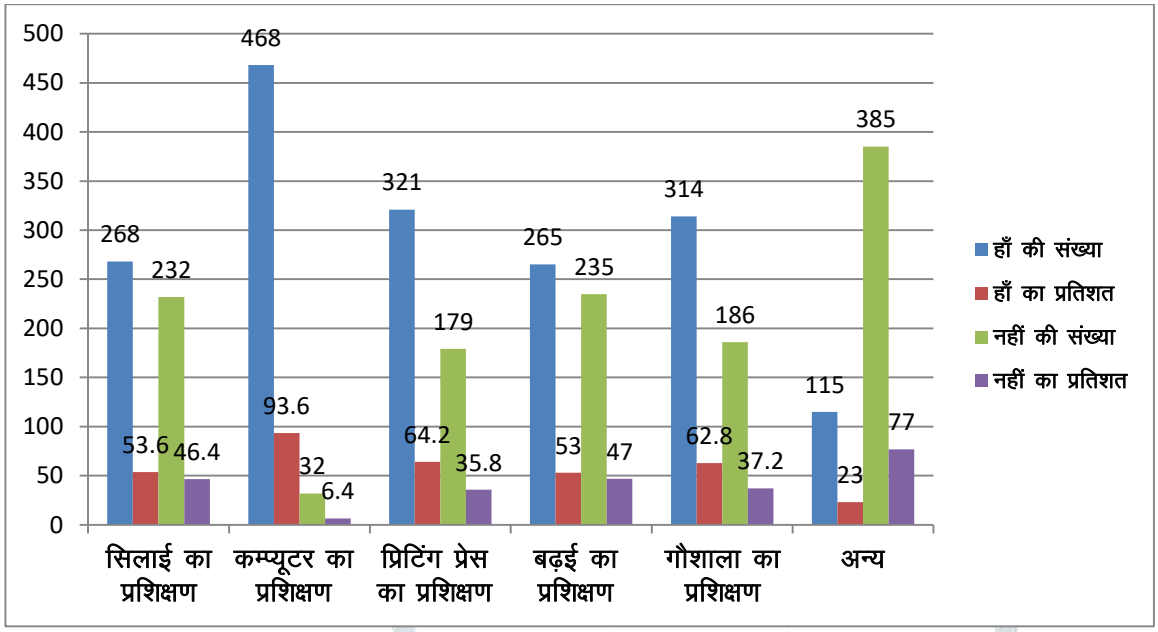

उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि हमारी परिकल्पना सजायाफ्ता कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिये यह परिकल्पना को प्रमाणित होती है।

9. सुझाव :–

- कैदियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।
- कैदियों को लघु व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- कैदियों के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- अधिकांश कैदियों के माता–पिता अशिक्षित हैं,अतः इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- कैदियों में शिक्षा के माध्यम से सहयोग, सद्भावना, सेवाभाव, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, आदि गुणों का विकास कर सकते है।
- जेल के कैदियों के शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए।
- कैदियों के लिए नवीन संसाधनों की व्यवस्था की जावे ।

- कैदियों के शिक्षण एवं शिक्षक का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाए।
- कैदियों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को समय–समय पर जनता के समक्ष मेले के रूप में प्रदर्शित किया जाए ताकि उनके कार्यों को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।
- जिन कैदियों को शिक्षा के प्रति कम रूचि है, उन्हें शिक्षा के महत्व को बताया जाए।
- शिक्षा के द्वारा प्राप्त व्यवहार का समय–समय पर समीक्षा किया जाना चाहिए।

10. अनुकरणीय अध्ययन :–

प्रस्तुत लघुशोध अध्ययन से संबंधित अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित क्षेत्र प्राप्त किए जा सकते है :–

1. महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन ।
2. ग्रामीण एवं शहरी महिला कैदियों की समस्या की संवेगात्मक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
3. जेल के महिला कैदियों की समस्या पर एक अध्ययन।
4. महिला कैदियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन।
5. जेल गृह में निवासरत महिला कैदियों का समायोजन एवं असमायोजन पर एक अध्ययन।
6. जेल में निवासरत महिला कैदियों के शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन।
7. महिला कैदियों की सामाजिक व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन।
8. जेल गृहों में अपराधियों के शैक्षिक वातावरण संबंधी समायोजन एवं असमायोजन पर एक अध्ययन।
9. जेल में महिला अपराधी के मानसिक स्तर पर एक अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कपील, एच. के. (2013) *''अनुसंधान विधियाँ''*, आगराः हरप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन
- कराइज, फॉर (2007) जेल रिफॉर्मस रिमेन अनहिर्ड, बिजनेस स्टेंडर्ड, जुलाई 05,
- चतुर्वेदी, मुरलीधर (2016) *''भारतीय दण्ड संहिता''*, लखनऊ : इस्टर्न बुक कम्पनी,
- जायसवाल, सीताराम (2005) *''शिक्षा में निर्देशन और परामर्श''*, आगरा : आर लाल बुक डिपो
- पाठक एवं त्यागी (2014) ''शिक्षा *के सामान्य सिद्धांत''*, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर
- पचौरी, गिरिष (2001) *''भारतीय समाज में शिक्षा''*, मेरठ : इन्टरनेशनल पब्लिसिंग हाऊस
- बधेल, डी. एस. (2016) *''अपराध शास्त्र''*, दिल्ली : सरस्वती सदन
- बरार, जस्टिस (2000), डैलवस इन टू परीजनर्स राइट्स, द इण्डियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली मई, 11, 2000
- महाजन, संजीत (2014) *''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शासन''*, नई दिल्ली : आर्य बुक डिपो,